सरकार द्वारा प्रत्याभूति देने की रीति को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

नियम

1. (एक) ये नियम **छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम, 2003** कहलायेंगे.

(दो) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे,

(तीन) ये उन समस्त मामलों में, जहां राज्य सरकार, उधारों तथा उन पर ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन प्रत्याभूति देती है, लागू होंगे,

2. **शासकीय प्रत्याभूति की सीमा** - राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा किसी एक वित्तीय वर्ष के लिये गत वित्तीय वर्ष के महालेखाकार के लेखे के अनुसार राज्य की राजस्व आय का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3. **उधारों के लिए आवेदन-पत्र** -- (एक) उधार लेने वाली संस्था प्रत्याभूति देने के लिए अपने प्रशासकीय विभाग को आवेदन करेंगी,

(दो) आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात :

(क) उधार लेने वाली संस्था का नाम ;

(ख) उधार देने वाली संस्था का नाम ;

(ग) उधार लेने के लिए प्रस्तावित रकम जिसके लिए प्रत्याभूति चाही गई है ;

(घ) ब्याज की दर ;

(ड) लोक हित जिसकी कि उधार द्वारा पूर्ति की जाना प्रस्तावित है ;

(च) प्रतिसंदाय की कालावधि तथा अनुसूची ;

(छ) क्या प्रत्याभूति की आवश्यकता केवल मूलधन के भुगतान के लिए है या मूलधन तथा ब्याज दोनों के भुगतान के लिए ;

(ज) उस संस्था के, जिससे कि उधार लेने के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है और अन्य संस्था या सरकार के उधार जो कि उधार लेने वाली संस्था के नामे पहले से ही बकाया है तथा प्रतिसंदाय की अनुसूची ;

(झ) विद्यमान उधार के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(ण) नकदी प्रवाह का विवरण जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि विद्यमान उधारों तथा प्रस्तावित उधार का किस प्रकार प्रतिसंदाय किया जाना है ;

(ट) उधार लेने वाली संस्था की वित्तीय प्रास्थिति जैसी कि पिछली 3 वर्षो के उसके व्यापारिक लेखों, लाभ तथा हानि खातों, तुलन-पत्र में उपदर्शित की गई है ;

(तीन) आवेदन पत्र में दी गई विशिष्टियों के आधार पर, या अन्यथा, प्रशासकीय विभाग उधार लेने वाली संस्था के अंतिम तुलन-पत्र या अन्य अभिलेख की परीक्षा से अपना समाधान करेगा कि क्या उधार की प्रत्याभूति दी जानी चाहिए या नहीं और ऐसे समाधान के पश्चात् वह मामले को वित्त विभाग को छानबीन तथा सहमति के लिए अग्रेषित करेगा,

(चार) प्रशासकीय विभाग से मामले की प्राप्ति पर वित्त विभाग इसकी परीक्षा करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उधार लेने वाली संस्था वित्तीय रूप से अच्छी है तथा प्रत्याभूति देने में कोई जोखिम अन्तर्वलित नहीं है तो यह प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा,

(पांच) वित्तीय सहमति के पश्चात् प्रशासकीय विभाग मंत्रिपरिषद आदेश अभिप्राप्त करेगा और इस संबंध में शासकीय आदेश जारी करेगा, आदेश की एक प्रति महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर, को वित्त विभाग की मार्फत पहुंचाई जायेगी

(छः) साथ ही सिवाय उस मामले में जहां प्रत्याभूति सहकारी/वाणिज्यिक बैंक को दी गई हो, राज्य शासन द्वारा प्रत्याभूति देने के पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई की सहमति अभिप्राप्त की जा सकेगी और ऐसा निर्देश वित्त विभाग की मार्फत भेजा जायेगा,

4. **आदेश में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां** - ऊपर नियम 2 में निर्दिष्ट शासकीय आदेश में प्रत्याभूत की जाने वाली रकम प्रत्याभूति की कालावधि, ब्याज की दर, क्या ब्याज का भुगतान भी प्रत्याभूत किया गया है, तथा प्रत्याभूति फीस की दर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगी ।

5. **प्रत्याभूति फीस** - जब तक कि विनिर्दिष्टतः छूट प्राप्त न हों, वित्त विभाग के परामर्श से, समय-समय पर सरकार द्वारा विहित की गई दरों पर एवं तरीके तथा निर्धारित समयावधि में प्रत्याभूति फीस उधार लेने वाली संस्था से प्रभारित की जायेगी और शासकीय खातें में शीर्ष ''0075 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें - अन्य प्राप्तियां - प्रत्याभूति फीस'' के अधीन जमा की जायेगी ।

6. **करार का निष्पादन** - (एक) सरकार के वित्तीय हित की रक्षा के लिए उन समस्त मामलों में जिनमें सरकार द्वारा उधार प्रत्याभूत किये गये हैं, प्रशासकीय विभाग को मूल ऋणी तथा लेनदार दोनों से पृथक-पृथक करार करना चाहिए परन्तु ऐसा करार उन मामलों में आवश्यक नहीं होगा जहां प्रत्याभूति कानूनी उपबंधों के अधीन दी गई हो, ऐसे करार की एक प्रतिलिपि वित्त विभाग को प्रज्ञापित करते हुए महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को भेजी जावेगी,

(दो) इस प्रकार निष्पादित किये गये करार में यथासंभव निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होनी चाहिए, अर्थात :-

(क) उधार लेने वाली संस्था के प्रबंध में सरकार का प्रतिनिधित्व ;

(ख) उधार लेने वाली संस्था की स्थावर संम्पत्तियों पर सरकार के पक्ष में प्रभार सृजित करके सहकारी हित सुरक्षित करना ;

(ग) उधार लेने वाली संस्था से नियतकालिक रिपोर्ट मंगाना ;

(घ) उधार लेने वाली संस्था के लेखाओं का सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने की शक्ति ;

(ड) प्रत्याभूतिदाता, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय आठ के अधीन उसे उपलब्ध समस्त अधिकारों का हकदार होगा,

7. **प्रशासकीय विभाग में अभिलेख का रखा जाना** –संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने द्वारा दी गई समस्त प्रत्याभूतियों का एक पूर्ण अभिलेख रखेगा जिसमें प्रतिसंदाय की नियत तारीखें, वह तारीख जिस पर प्रतिसंदाय वास्तविक रूप से किया गया है तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि सरकारी हित को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझी जाय, दर्शायी जायेगी ।

8. **नियतकालिक रिपोर्ट** –प्रशासकीय विभाग प्रतिसंदायों पर निगरानी रखने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए उधार लेने वाली संस्था द्वारा दी जाने वाली नियतकालिक रिपोर्ट विहित कर सकेगा ।

9. **प्रतिसंदाय** – (एक) प्रशासकीय विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रतिसंदाय यथा समय किये गये है और यदि उधार लेने वाली संस्था भुगतान में व्यतिक्रम करती है तो प्रशासकीय विभाग शोध्य किस्त का तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा और उधार लेने वाली संस्था से ब्याज सहित रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही भी संस्थित करेगा ।

(दो) किसी व्यतिक्रमी संस्था से सरकार द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर उस दर से 2 प्रतिशत ऊंची होगी जिस पर कि सरकार को व्यतिक्रम की गई किस्त पर लेनदार को ब्याज का भुगतान करना पड़ा था ।

10. **व्यतिक्रम के मामले में वित्त विभाग की रिपोर्ट** –ऐसे समस्त मामलों के बारे में, जिनमें उधार लेने वाली संस्था ने प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम किया था और सरकार को उसकी ओर से भुगतान करना पड़ा था प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग को तत्काल रिपोर्ट दी जायेगी.

11. **निजी संस्था को कोई प्रत्याभूति नहीं** – राज्य सरकार की कोई प्रत्याभूति किसी प्राईवेट संस्था के पक्ष में प्रसामान्य रूप से नहीं दी जायेगी ।

****